

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.10(147)नविवि/3/2008 पार्ट-III

जयपुर, दिनांक: 17 MAY 2023

आदेश

विषय:- "Call before u Dig" (CBUD) Mobile App को लागू किये जाने के संबंध में

सचिव, संचार मंत्रालय, भारत सरकार के अ.शा पत्र क्रमांक 3-1/2022-NBM दिनांक 02.12.2022 (प्रति संलग्न) तथा भारतीय तार (अवसंरचना सुरक्षा) नियम-2022 के क्रम में संचार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 03.01.2023 (प्रति संलग्न) के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि राज्य के नगरीय क्षेत्रों में सड़को व अन्य क्षेत्रों में विद्यमान टेलीग्राफ इन्फ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिगत इन क्षेत्रों में खुदाई/उत्खनन से पूर्व संबंधित राजकीय अथवा निजी एजेन्सी को "Call before u Dig" (CBUD) Mobile App के माध्यम से सूचित (Intimation) किया जाना अनिवार्य होगा।


राज्यपाल की आज्ञा से,


(अवधेश सिंह)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वयत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, महानिदेशक (पुलिस), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
7. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
8. Sr. DDG, License Service Area, Dot, Rajasthan.
9. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
11. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
12. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
13. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
14. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन, जयपुर।
15. श्री मुकेश अरोडा, अतिरिक्त निदेशक, नविवि, जयपुर।
16. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-तृतीय